भगवंत सिंह जैन बनाम श्री आर.एल.सुधीर, आई.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर, महेन्द्रगढ़ और अन्य

नागरिक विविध

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

भगवंत सिंह जैन

- याचिकाकर्ता

बनाम

श्री आर.एल.सुधीर, आई.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर, महेन्द्रगढ़ और अन्य,

-उत्तरदाता

1970 की सिविल रिट संख्या 420

16 मार्च 1970

पटियाला नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम (2003 बीके VI) - धारा 3 और 10-पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) धारा 10 और 232-उपायुक्त-क्या किसी कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने का अधिकार क्षेत्र है-धारा 10 में शब्द 'निलंबन'-क्या यह किसी कार्यकारी अधिकारी के निलंबन से संबंधित है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की शक्तियाँ पटियाला नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 2003 बीके की धारा 3 (1) के तहत राज्य सरकार के पास निहित हैं। उसे राज्य सरकार द्वारा स्वत: संज्ञान या नगर पालिका समिति की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में दिए गए तरीके से निलंबित या हटाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 10 के तहत, राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और नाजिम (उपायुक्त) को क्रमशः नियंत्रण, निरीक्षण, मांग, निलंबन और अन्य सभी शक्तियां, पंजाब नगरपालिका अधिनियम के अध्याय XII द्वारा समिति के संबंध में, कार्यकारी अधिकारियों के आदेशों के संबंध में प्रदान की गई हैं लेकिन इस धारा में 'निलंबन' शब्द कार्यकारी अधिकारी के निलंबन से संबंधित नहीं है बल्कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 232 के तहत उसके आदेशों के निलंबन से संबंधित है।। इसलिए एक उपायुक्त के पास किसी कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसी शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 (अनुलग्नक 'सी') द्वारा पारित 12 फरवरी, 1970 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए और आगे प्रार्थना करते हुए कि इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 12 फरवरी, 1970 (अनुलग्नक 'सी') के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा एक अंतरिम रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए।

भगवंत सिंह जैन बनाम श्री आर.एल.सुधीर, आई.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर, महेन्द्रगढ़ और अन्य

एच. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सी. नागपाल और एच. एस. अवस्थी, अधिवक्ता के साथ ,अपीलकर्ता की ओर से।

सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता (हरियाणा), उत्तरदाताओं की ओर से।

प्रलय

1. बी.आर. तुली, जे.-याचिकाकर्ता ने विभिन्न नगर पालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है और उनकी अंतिम नियुक्ति नगर पालिका समिति, नारनौल में हुई थी, जो 8 अगस्त, 1969 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उनके द्वारा पद का कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। याचिकाकर्ता ने 19 अगस्त, 1969 को अपने पद का कार्यभार संभाला और 12 फरवरी, 1970 के आदेश के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर, महेंद्रगढ़ द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन का कारण नगरपालिका समिति के खातों में कुछ अनियमितताएं थीं जो उपमंडल अधिकारी (सिविल) द्वारा प्रकाश में लाई गयी, जिन्हें नगर निगम आयुक्तों द्वारा की गई शिकायतों के जवाब में निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की कि पटियाला नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 2003 बीके (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा)के तहत, जो कि नारनौल नगर समिति पर लागू होता है, उपायुक्त के पास कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है व यह शक्ति राज्य सरकार में निहित है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके निलंबन का आदेश दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि इसे उप आयुक्त द्वारा नगर निगम आयुक्तों और आम जनता को खुश करने के लिए पारित किया गया था ,जो 31 जनवरी, 1970 को चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में किए गए प्रदर्शन के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ हो गए थे मुझे लगाए गए दूसरे आरोप में कोई दम नहीं दिखता जो किसी भी तथ्य से समर्थित नहीं है। यह भी याद रखना चाहिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतें बहुत पहले की गई थीं और दिसंबर, 1969 में जांच का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ के मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले ही जांच अधिकारी ने जनवरी, 1970 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसलिए, मैं याचिकाकर्ता के इस आरोप को आधारहीन मानकर खारिज करता हूं।
2. हालाँकि, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की पहली प्रस्तुति में बल मिलता है। अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं धारा 3 और 10 इस प्रकार हैं:-

"3. (1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को 5 वर्ष से अधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए समिति के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है और उसे वेतन और ग्रेड के संबंध में अवर सचिवों के ग्रेड में वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) जब समिति के किसी सदस्य को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति पर समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) ऐसे कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक,समिति द्वारा नगरपालिका निधि से देय होगा।

(4) कार्यकारी अधिकारी को किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या समिति की सिफारिश पर निलंबित या पद से हटाया जा सकता है यदि उसके निलंबन या निष्कासन के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई गई समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के पांच-आठवें से अधिक सदस्य उसके निलंबन या निष्कासन के पक्ष में मतदान करते हैं और यदि कार्यकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।

(5) राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकारी को एक महीने से अधिक की छुट्टी दी जा सकती है और जब भी ऐसी छुट्टी दी जाती है, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करें:

बशर्ते कि यदि छुट्टी की अवधि एक महीने से अधिक न हो और यह आकस्मिक या विशेषाधिकार अवकाश है तो यह नगर पालिकाओं के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रदान किया जा सकता है और अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बिना पारिश्रमिक के, ऐसी छुट्टी की अवधि के लिए कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(4) जब भी किसी कार्यकारी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी:

बशर्ते कि अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बिना किसी पारिश्रमिक के कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि कोई अन्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

10. राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और नाजिम के पास कार्यकारी अधिकारी के संबंध में क्रमशः नियंत्रण, निरीक्षण, मांग, निलंबन और अन्य सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो नगरपालिका अधिनियम के अध्याय XII में समिति के संबंध में प्रदान की गई हैं"

अधिनियम की धारा 4 कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों की गणना करती है और अधिनियम की अनुसूची II, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की विभिन्न धाराओं की गणना करती है, जिन्हें कार्यकारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के मद्देनजर संशोधित किया गया है व जिनका प्रयोग उन्हें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत करना है।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। उसे धारा 3 की उप-धारा (4) में दिए गए तरीके से राज्य सरकार द्वारा स्वत: संज्ञान या नगरपालिका समिति की सिफारिश पर निलंबित या हटाया जा सकता है। यहां तक कि नगरपालिका समिति के पास भी कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने की कोई शक्ति नहीं है।। यह केवल उसके निलंबन या निष्कासन की सिफारिश कर सकता है और कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने का निर्णय राज्य सरकार का है। धारा 10 के तहत, राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और नाजिम (उपायुक्त) को, कार्यकारी अधिकारियों के आदेशों के संबंध में क्रमशः नियंत्रण, निरीक्षण, मांग, निलंबन और अन्य सभी शक्तियां जो नगरपालिका अधिनियम के अध्याय XII द्वारा समिति के संबंध में प्रदान की जाती हैं, दी गई हैं।। इस धारा में "निलंबन" शब्द कार्यकारी अधिकारी के निलंबन से संबंधित नहीं है, बल्कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 232 के तहत उनके आदेशों के निलंबन से संबंधित है। धारा 10 की इस व्याख्या को नगरपालिका अधिनियम के अध्याय XII में विभिन्न धाराओं से समर्थन मिलता है जो धारा 231 से शुरू होती है। धारा 10 में "क्रमशः" शब्द यह भी इंगित करता है कि राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और उपायुक्त के पास कार्यकारी अधिकारी के आदेशों के तहत वे शक्तियां हैं जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 231 से 240 के प्रावधानों के तहत उनमें निहित हैं।नगरपालिका अधिनियम की धारा 231 उपधारा (1) के विभिन्न खंडों में नियंत्रण, निरीक्षण और मांग का प्रावधान है। धारा 232 उप-आयुक्त को किसी समिति या संयुक्त समिति के किसी भी संकल्प या आदेश के निष्पादन को निलंबित करने या किसी भी कार्य को करने पर रोक लगाने की शक्ति देती है जो किया जाने वाला है या अधिनियम के अनुसरण में या उसकी आड़ में किया जा रहा है या अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में समिति द्वारा दी गई किसी भी मंजूरी या अनुमति के अनुसरण में किया जा रहा है यदि उनकी राय में, संकल्प, आदेश या कार्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक है या जनता के हितों के विपरीत है या जिसको करने से नगरपालिका निधियों या संपत्ति आदि की बर्बादी या क्षति होने की संभावना है।समिति के आदेशों में कार्यकारी अधिकारी के आदेश शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो नगरपालिका समिति में पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित संशोधनों द्वारा निहित हैं।यह कार्यपालक पदाधिकारी के उन आदेशों का निलंबन है जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 10 में किया

गया है न कि स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी के निलंबन का। इसलिए मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को नगरपालिका समिति, नारनौल के कार्यकारी अधिकारी के पद से निलंबित करने के 12 फरवरी, 1970 के आक्षेपित आदेश को पारित करने का उपायुक्त के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और यह आदेश इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।

4. ऊपर दिए गए कारणों से यह याचिका लागत सहित स्वीकार की जाती है और उपायुक्त के 12 फरवरी 1970 के आदेश को रद्द किया जाता है जिसमें याचिकाकर्ता को नगरपालिका समिति, नारनौल के कार्यकारी अधिकारी के पद से निलंबित कर दिया गया था। वकील की फीस 100 रु. है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा